



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में मादक पदार्थों से सम्बन्धित अपराध की घटना कारित करने के आरोपी रिहान व मौ0वसीम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.रिहान पुत्र अलाउद्दीन निवासी अठसैनी थाना गढ जनपद हापुड व मौ0वसीम पुत्र मौ0 सिराज निवासी मो0 कुरैशियाना डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के द्वारा मादक पदार्थों से सम्बन्धित अपराध की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना खेकड़ा पर क्रमशः मु0अ0सं0 08/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 07/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.09.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रिहान व मौ0वसीम को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री दीपक शर्मा अभियोजन अधिकारी



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



उ0नि0 श्री विजयदत्त शर्माविवेक



है0का0 रमेश कोर्ट पैरोकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 23.09.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 296/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटनास्थल से ईंट के रोडे तथा 02 डंडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2026 को थाना बिनौली पर वादी है0का0 851 कुलदीप कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि **प्रथम पक्ष** 1.फारुक पुत्र वहीद उम्र- 45 वर्ष, 2-आकिल पुत्र महबूब उम्र- 19 वर्ष, 3-शेर



खान पुत्र साबिर उम्र- 25 वर्ष, 4- महबूब पुत्र उम्र- 50 वर्ष, 5. अबरार पुत्र वहीद उम्र- 58 वर्ष निवासीगण ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत ।

द्वितीय पक्ष 1.सोनू पुत्र इस्लामुद्दीन उम्र- 35 वर्ष, 2.मोनू पुत्र इस्लामुद्दीन उम्र- 30 वर्ष निवासीगण ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत तथा 8 से 20 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक दूसरे को जान से मारने की नियत से ईंट, पत्थर, लाठी व डण्डों से हमला किया गया तथा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये, जिससे आस पास के लोगों में डर व भय का माहौल उत्पन्न हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 296/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 296/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, घटनास्थल से ईंट के रोडे तथा 02 डंडा बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- घटनास्थल से ईंट के रोडे, 02 डंडा।

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ गुलफाम का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 94/19 धारा 409/420/467/468/471 भादवि व 3,7 आव0 वस्तु अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 296/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.फारुक पुत्र वहीद निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2.आकिल पुत्र महबूब निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3.शेर खान पुत्र साबिर निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4.महबूब पुत्र वहीद निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 5.अबरार पुत्र वहीद निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 6.सोनू पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 7.मोनू उर्फ गुलफाम पुत्र इस्लामुद्दीन निवासीगण ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2.है0का0 851 कुलदीप थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3.है0का0 222 अनुज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4.का0 951 पीताम्बर थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 23.09.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/2026 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बलकटी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.26 को थाना छपरौली पर वादी बाबूराम पुत्र वेदू निवासी ग्राम ककौर कलाँ थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रामफल पुत्र भुल्लन निवासी ग्राम ककौर कलाँ थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा वादी के भाई चन्दकीराम को जान से मारने की नीयत से सिर में बलकटी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु.अ.स.

221/2026 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस में पंजीकृत किया गया ।

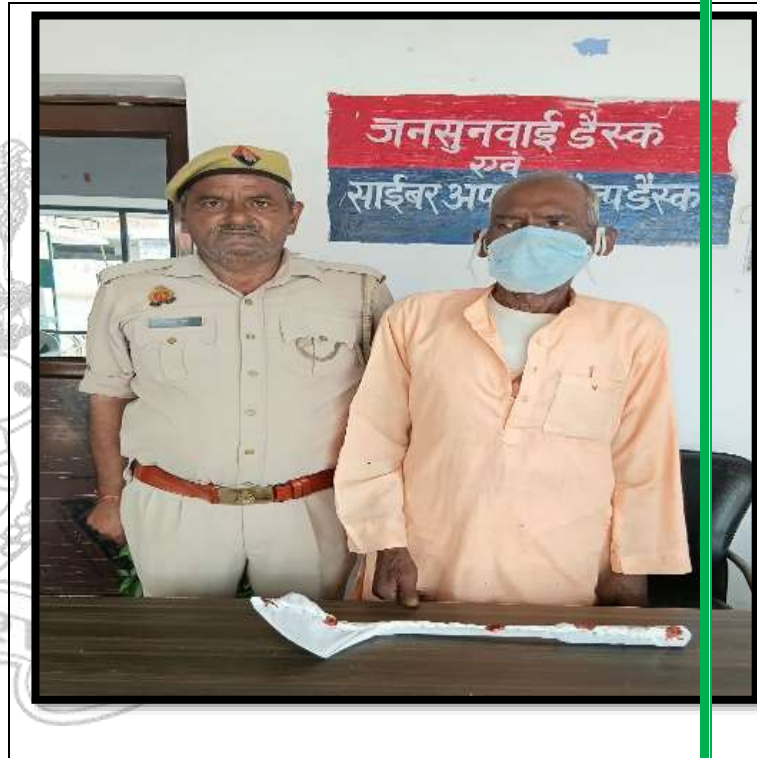
कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 221/2026 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बलकटी बरामद हुई है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामफल पुत्र भुल्लन निवासी ग्राम ककौर कलाँ थाना छपरौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-



- घटना में प्रयुक्त बलकटी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 757 प्रतीश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का० 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

